हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग(नियुक्ति–II)

सं0 पर(एपी–बी)बी(2)–6/99 तारीख शिमला–2, 30 अगस्त, 2007

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 14–02–2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, सफाईकर्ता, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड सफाईकर्ता, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध "क" का संशोधन

(1) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, सफाईकर्ता, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 के, उपाबन्ध "क" में, :–

(i) स्तम्भ संख्या–10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर, ऐसा न होने पर स्थानांतरण द्वारा सैकेण्डमैंट आधार पर ।" और

जारी .- 2 --

(ii) स्तम्भ संख्या–15 के सामने विद्यमान उपबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :–

"15 क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।

(i) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड में सफाईकर्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना :

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो तथा 28–01–2004 को अधिसूचित तथा समय–समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के "प्रक्रिया एवं संचालन नियमों" के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) **संविदात्मक उपलब्धियां :**

संविदा के आधार पर नियुक्त सफाईकर्ता को 3930—/रूपए की समेकित नियत रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए उपलब्धियाँ में 100/—रूपए की वार्षिक वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी।

(iii) **नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :**
अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(iv) **चयन प्रकिया :**
संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि भर्ती प्राधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा इन नियमों और 28—01—2004 द्वारा अधिसूचित समय—समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के "प्रक्रिया एवं संचालन नियमों" के अधीन अवधारित किया जाएगा ।

जारी -- 4 --

(v) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी कि भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(vi) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–श्खश के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vii) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 3930/– रूपए की दर से नियत रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100/–रूपए की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा तथा अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएँ जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि प्रदान नही किया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक/अच्छा नहीं पाया जाता है ।

(ग) संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

जारी -- 5 --

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण, किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

जारी .. 6 ..

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारी को लागू है, वेतनमान के न्यूनतम दर पर यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(viii) **नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार :**

इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में सफाईकर्ता के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

आदेश द्वारा,

रवि ढींगरा
मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृ0संख्या पर(एपी–बी)बी(2)–6/99 तारीख शिमला–2, 30 अगस्त, 2007
प्रतिलिपि प्रेषित है :

1. सचिव (कार्मिक/विधि/ वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171 002
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवांएं चयन बोर्ड, हमीरपुर–177 001 को **5** अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
3. सहायक विधि परामर्शी – एवं– अवर सचिव(विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
4. व0 विधि अधिकारी, राजभाषा खण्ड ।। विधि विभाग हि0 प्र0 सचिवालय ।
5. अतिरिक्त प्रतियॉं–20

Bripunshan
उप सचिव(कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

****

उपाबन्ध "क"

सफाईकर्ता और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री.................... .... निवासी...,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड , हमीरपुर के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) आज तारीख............................ को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सफाईकर्ता के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि **प्रथम पक्षकार** सफाईकर्ता के रूप में.........से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्.................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक रकम 3930/– रूपए प्रतिमास होगी ।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक/अच्छा नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्ति, किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त सफाईकर्ता एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त सफाईकर्त्ता को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त सफाईकर्ता, कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन लेने का हकदार नही होगा।

जारी .. 2 ..

7. चयनित अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। प्रसव के पश्चात, महिला अभ्यर्थी की ऐसी नियुक्ति पूर्व, उसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर द्वारा अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

8. संविदात्मक सफाईकर्ता का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का वेतनमान के न्यूनतम पर हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ ई0 पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....................................

....

(नाम व पूरा पता)

2.....................................

....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में

1.....................................

....

(नाम व पूरा पता)

2.....................................

....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

*****